The Patna University (Amendment) Bill, 2007

A

Bill

To amend the Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24 of 1976).

Preamble - Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty eighth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement- (i) This Act may be called the Patna University (Amendment) Act, 2007
 - (ii) It shall come into force at once.
- 2. Deletion of words 'The Bihar State University (Constituent Colleges) Service Commission' and 'Bihar Inter University Board' used in the Bihar Act 24 of 1976—

The words 'The Bihar State University (Constituent Colleges) Service Commission' and 'Bihar Inter University Board' used in Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24 of 1976) and in the Statute/Ordinance/Regulation or otherwise references made thereunder shall be deemed to be deleted.

- **3. Deletion of section 41 of Bihar Act 24 of 1976** Section 41 of the Patna University Act 1976 (Bihar Act 24 of 1976) shall be deemed to be deleted.
- 4. Substitution of section 56 of the Bihar Act 24 of 1976 –

The following shall be substituted in place of section 56 of the Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24 of 1976);

- "56 (i)- Subject to the provisions of this Act and the statute made thereunder appointment to the post of teachers and officers (other than Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Registrar and the Dean of faculty) of the University shall be made by the University on the recommendation of the Selection Committee consisting of the following members:-
 - (1) The Vice-Chancellor;
 - (2) One member to be nominated by the Chancellor.
 - (3) One member to be nominated by the Government.

- (4) Three experts not connected with the University to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of not less than seven names approved by the Academic Council for each post, out of which at least one member should belong to scheduled caste/scheduled tribes and two shall be from outside the state.
- (5) The head of the department of the discipline concerned.
- (ii) The selection committee shall prepare a merit list for appointment of teachers and officers from amongst the eligible candidates and make recommendation for their appointment according to merit in conformity with the reservation roster prepared by the university in accordance with law relating to reservation in appointment in force in the state.
- (iii) Quorum for meeting of the selection committee Quorum for meeting of the selection committee shall be five in which presence of at least two experts shall be necessary.
- 5. Addition of a new section 56 B in the Bihar Act 24 of 1976 The following new section 56 B shall be added after section 56 A of the Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24 of 1976):-
 - "56 B- Procedure of selection to be prescribed by the Statute-Notwithstanding anything contained in any provision of this Act, Rule, Statute, Ordinance, or any other law for the time being in force, the Selection Committee constituted under section 56 of this Act shall be bound by the procedure of selection to be prescribed by Statute to be framed by the University in accordance with procedure prescribed under the Act".
- **6. Deletion of section 57 of the Bihar Act 24 of 1976** Section 57 of the Patna University Act 1976 (Bihar Act 24 of 1976) shall be deemed to be deleted.
- **7. Saving -** 57-A: Notwithstanding substitution of section 56 and deletion of section 57 of the Act, any thing done or decision or action taken shall be deemed to have been validly taken and shall not be open to question on the ground of substitution or deletion of section 56 and 57 and section 58 of the Act.

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

प्रस्तावना |— भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।— (i) यह अधिनियम पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।
 - (ii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
- 2. बिहार अधिनियम 24, 1976 में प्रयुक्त शब्द, "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग "और "बिहार अन्तर विश्वविद्यालय, बोर्ड का विलोपन ।—

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) और परिनियम/अधिनियम/विनियम अथवा उसके अधीन किये गये अन्यथा के प्रति निर्देश में प्रयुक्त शब्द, "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग" और बिहार अन्तर विश्वविद्यालय, बोर्ड"विलोपित समझे जायेगे ।

- 3. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा 41 का विलोपन ।— पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) की धारा 41 विलोपित समझी जाएगी ।
- 4. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा 56 का प्रतिस्थापन ।— पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) की धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः
- " 56 (i) इस अधिनियम और इसके अधीन बनें परिनियमों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्ति, (कुलपति / प्रतिकुलपति / रिजस्ट्रार और संकायाध्यक्ष के सिवाय) विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जायेगी :—
 - (1 कुलपति,
 - (2) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य,
 - (3 सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य,
 - (4) एकेडिमिक कॉन्सिल द्वारा अनुमोदित कम से कम सात नामों के पैनल में से कुलपित द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं होगे, जिसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होगें और दो राज्य से बाहर के होगें।
 - (5) अनुशासन से संबंधित विभागाध्यक्ष ।

- (ii) चयन समिति पात्र अभ्यर्थियों में से शिक्षकों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए मेधा सूची तैयार करेंगी और राज्य में लागू नियुक्ति में आरक्षण से संबंधित विधि के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तैयार आरक्षण रोस्टर के अनुरूप मेरिट के अनुसार उनकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेंगी।
- (iii) चयन समिति की बैठक की गणपूर्ति ।— चयन समिति की बैठक की गणपूर्ति उससे होगी जिसमें कम से कम दो विशेषज्ञ अवश्य उपस्थित होंगे ।
- 5. बिहार अधिनियम 24, 1976 में एक नई धारा 56 ख का जोड़ा जाना पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) की धारा 56 क के बाद निम्नलिखित एक नई धारा 56 ख जोडी जायेगी:—

" 56 ख — परिनियम द्वारा विहित की जानेवाली चयन प्रक्रिया ।— इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 56 के अधीन गठित चयन समिति इस अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परिनियम द्वारा विहित की जाने वाली प्रक्रिया द्वारा बाध्य होगी ।"

- 6. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा 57 का विलोपन पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) की धारा 57 विलोपित समझी जाएगी ।
- 7. व्यावृत्ति |— अधिनियम की धारा 56 के प्रतिस्थापन और धारा 57 के विलोपन के होते हुए भी, किया गया कुछ भी या विनिश्चय अथवा की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और अधिनियम की धारा 56 एवं 57 और धारा 58 के प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी ।